न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 58 / 2024

अपीलांट्स –
1. वीराराम पुत्र खीमाराम
2 सवाईराम पुत्र खीमाराम जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी नारणोंणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार बाड़मेर
2. ताराराम पुत्र खीमाराम
3. लालाराम पुत्र ताराराम
4. भीखाराम पुत्र सवाईराम
5. राणाराम पुत्र सवाईराम जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी नारणोणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 4365 दिनांक 26.07.2019 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री नरेन्द्र सियाग, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2व5 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 17.03.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 4365 दिनांक 26.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा में खेत खसरा संख्या 88 रकबा 2–18 बीघा किस्म गैर मुमकीन ढाणी एवं खसरा नंबर 185 / 89 रकबा 241–09 बीघा किस्म बा. दोयम भूमि खातेदारान सवाईराम, वीराराम, ताराराम पि. खीमाराम कौम कुम्हार साकिन नारणाणियों की ढाणी के नाम खातेदारी [illegible] कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 26.07.2019 को प्रार्थना–पत्र [illegible] प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन [illegible] पर हलका पटवारी भाड़खा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलार्थी [illegible] विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 4365 दिनांक 26.07.2019 पारित किया [illegible] जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.12.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:35 IST
Reason: SelfAttested

को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक मौजा नारणोणियों की ढाणी में खेत खेत खसरा संख्या 88 रकबा 2–18 बीघा किस्म गैर मुमकीन ढाणी एवं खसरा नंबर 185 / 89 रकबा 241–09 बीघा किस्म बा. दोयम भूमि आई हुई है। जिस पर अपीलांट्स व उतरदाता संख्या 2से5 का बाहमी बंटवाडा कर कब्जा कायम कर रखा था एवं सभी खातेदारान को कब्जे काश्त अनुसार जोत का बंटवाडा करवाने को कहा, जिस पर सभी खातेदार कब्जे रहवास अनुसार बंटवाडा करने को सहमत थे। पक्षकारान द्वारा हल्का पटवारी को अपने कब्जे काश्त अनुसार बंटवाडा करने का आश्वासन देकर बंटवाडा कागजात तैयार कियेएवं अपीलांट सहित सह खातेदार ने अपने कब्जे रहवास अनुसार बंटवाडा होने का विश्वास कर उस पर अपने हस्ताक्षर किये लेकिन हल्का पटवारी द्वारा मूल राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं की थी। हल्का पटवारी द्वारा बताया कि भौतिक रूप से मौका देखकर राजस्व रेकर्ड में कब्जे काश्त अनुसार ही तरमीम की जाएगी। वर्तमान में अपीलांट्स ने अपनी कृषि जोत के विकास हेतु पटवारी से रेकर्ड की जांच की तो ज्ञात हुआ कि अपीलांट्स सहित उतरदातागण की भूमि दो–दो हिस्सों में विभक्त करते हुए तथा अपीलांट वीराराम की ढाणी उतरदाता संख्या 1 के हिस्से में दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में तरमीम की है तथा जिससे खसरा नंबर 88 गै.मु. ढाणी को रास्ते की सुविधा से वंचित रखते हुए उतरदाता संख्या 1 द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि कुछ अर्सा पूर्व जब अपीलांट संख्या 2 के पुत्रों ने अपनी भूमि को अलग करवाने तथा अपनी खातेदारी भूमि के संरक्षण व विकास हेतु तारबंदी करने के [illegible] से अपने हिस्से का पता किया तो ज्ञात हुआ कि बंटवाडा [illegible] हुआ है। अपीलांट्स ने उक्त सहमति विभाजन की हल्का पटवारी [illegible] कर नकलें मांगी जो नकले अपीलांट्स को दिनांक 22.11.2024 को प्राप्त [illegible]। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सदभाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि मौजा नारणोणियों की ढाणी में खेत खेत खसरा संख्या 88 रकबा 2–18 बीघा किस्म गैर मुमकीन ढाणी एवं खसरा नंबर 185 / 89 रकबा 241–09 बीघा किस्म बा. दोयम भूमि आई हुई है। पक्षकारान के मध्य विभाजन कब्जे–काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलांट्स की उक्त अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उजर ऐतराज नहीं है।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा में खेत खसरा संख्या 88 रकबा 2–18 बीघा किस्म गैर मुमकीन ढाणी एवं खसरा नंबर 185 / 89 रकबा 241–09 बीघा किस्म बा. दोयम भूमि खातेदारान सवाईराम, वीराराम, ताराराम पि. खीमाराम कौम कुम्हार साकिन नारणाणियों की ढाणी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 26.07.2019 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी भाड़खा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 4365 दिनांक 26.07.2019 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.12.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि पक्षकारान द्वारा हल्का पटवारी को अपने कब्जे काश्त अनुसार बंटवाडा करने का आश्वासन देकर बंटवाडा कागजात तैयार किये एवं अपीलांट्स सहित सह खातेदार ने अपने कब्जे रहवास अनुसार बंटवाडा होने का विश्वास कर उस पर अपने हस्ताक्षर किये लेकिन हल्का पटवारी द्वारा मूल राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं की थी। हल्का पटवारी द्वारा बताया कि भौतिक रूप से मौका देखकर राजस्व रेकर्ड में कब्जे काश्त अनुसार ही तरमीम की जाएगी। वर्तमान में अपीलांट्स ने अपनी कृषि जोत के विकास हेतु पटवारी [illegible] जांच की तो ज्ञात हुआ कि अपीलांट्स सहित उतरदातागण की भूमि [illegible] में विभक्त करते हुए तथा अपीलांट वीराराम की ढाणी [illegible] दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में तरमीम की है तथा जिससे खसरा नंबर 88 गै.मु. ढाणी को रास्ते की सुविधा से वंचित रखते हुए उतरदाता संख्या [illegible] द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स के अधिवक्ता के इस अभिकथन को अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा जरिये राजीनामा ताईद करते हुए अपीलाधीन आदेश

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

निरस्त किये जाने बाबत अनापत्ति प्रकट की गई हैं। अपीलांट्स के मुख्य कथन में प्रकट किया गया हैं अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 4365 दिनांक 26.07.2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:35 IST
Reason: SelfAttested